29 मई, 2015

बांग्लादेश दौरा: आशाएं और चुनौती

डॉ. अमित रंजन*

जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आगामी बांग्लादेश दौरा भारत और बांग्लादेश के बीच थल सीमा करार (एलबीए) लागू करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर का साक्षी बनेगा, जिसका अनुसमर्थन हाल ही में भारतीय संसद द्वारा किया गया है। बांग्लादेश ने वर्ष 2012 में पहले ही इसका अनुसमर्थन कर दिया था। दोनों देशों के बीच सड़क, रेल तथा पत्तन संपर्क और ऊर्जा सहयोग के संबंध में अनेक करारों पर भी हस्ताक्षर किये जाने की आशा है। साथ ही, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष, शेख हसीना, कोलकाता-ढाका-त्रिपुरा बस सेवा की भी शुरूआत करेंगे। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस दौरे से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध सुदृढ़ होने जा रहे हैं, फिर भी, इससे बहुत अधिक आशाएं करना नासमझी होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच कुछेक मुद्दों पर मतभेद हैं। तथापि, थल सीमा करार (एलबीए) ने इनके बीच एक सौहार्दपूर्ण तथा उन्नत द्विपक्षीय संबंध कायम करने में उत्प्रेरक का कार्य किया है।

भारत- बांग्लादेश सीमा विवाद

सीमा का सीमांकन करने संबंधी विवाद भारत-बांग्लादेश तनाव की जड़ में है। थल सीमा करार (एलबीए) के कार्यान्वयन के बाद कानूनी तौर पर इसका समाधान होने जा रहा है। इसके कार्यान्वयन के बाद दोनों देशों के बीच सीमाओं का सीमांकन तो हो जाएगा, लेकिन सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आवागमन का क्या होगा? क्या उनका आवागमन रूक जाएगा? सीमावर्ती राज्यों के लोगों की तब क्या प्रतिक्रिया होगी जब वे बस्तियों के नए नागरिकों के

संपर्क में आऐंगे और उनसे लेन-देन करेंगे? असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में थल सीमा करार (एलबीए) के विरोध के कारण ये प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत-बांग्लादेश थल-सीमा विवादों के बीज वर्ष 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान बोए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के सीमांकन के लिए सीमा आयोग (बीसी) का गठन किया गया था। इस आयोग की अगुआई सर सिरिल रेडक्लिफ कर रहे थे, जिन्हें ऐसे कार्य का कोई पूर्व-अनुभव नहीं था और भारतीय महाद्वीप में वे पहली बार ही आए थे। सीमा आयोग (बीसी) के अन्य सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे।[1] हालांकि, मुसलमानों के लिए अलग से एक देश बनाए जाने की मांग थी, लेकिन विभाजन रेखा न केवल धर्म के आधार पर खींची गई, बल्कि सर सिरिल रेडक्लिफ[2] द्वारा पानी के नहरों, रेल संपर्क लाईनों आदि जैसे "अन्य कारकों" पर भी विचार किया गया था। बंगाल में "अन्य कारकों" के कारण रेडक्लिफ को पूर्वी से पश्चिमी बंगाल तक लगभग 6,000 वर्ग मील क्षेत्र के हस्तान्तरण की संस्तुति करनी पड़ी और मुर्शिदाबाद, नदिया, जसोर, मालदा और दिनाजपुर जिलों को तदनुसार सीमांकित किया गया था।[3] रेडक्लिफ रेखा कुछ मायनों में वर्ष 1905 की कर्जन रेखा के सदृश्य थी, जो 28,000 वर्ग मील लंबी थी और इसकी जनसंख्या 2 करोड़ 10 लाख से कुछ अधिक थी। पूर्वी बंगाल 49,000 वर्ग मील का क्षेत्र था, जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ 90 लाख थी।[4] बदरपुर (47 वर्गमील) में रतबारी (240 वर्गमील), पथारकांडी (277 वर्गमील) के तीन थाने और करीमगंज थाने (145 वर्गमील) का कुछ हिस्सा छोड़कर सिलहट का पूरा का पूरा जिला पाकिस्तान को दे दिया गया था।[5] साथ ही, 197 बस्तियां दोनों देशों के बीच कलह का कारण बन गईं।[6]

वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो ये सभी विवाद इसे विरासत में मिले। इन्हें सुलझाने के लिए 16 मई, 1974 को भारत और बांग्लादेश ने थल सीमा संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों पक्षकारों ने मिज़ोरम-बांग्लादेश सेक्टर, त्रिपुरा, सिलहट, भागलपुर रेलवे लाईन, सिबपुर-गौरांगला सेक्टर, मुहुरी (बलोनिया) सेक्टर, त्रिपुरा नोवाखली/कोमिला सेक्टर के शेष भाग, फेनी नदी, त्रिपुरा-चिटगांव पर्वतीय भू-भाग के शेष भाग, बियानी बाज़ार-करीमगंज सेक्टर, हाकर खाल, बाइकारी खाल, इनक्लेव्स, हिल्ली, बेरूबारी, लाथीटिला-डूमाबारी[7] जैसे सीमा संबंधी अनेक विवादों पर अपने-अपने तर्क और प्रस्तावित समाधान प्रस्तुत किए। इसके तहत यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्षकार एक दूसरे को गलियारा उपलब्ध कराने के लिए भूमि का आदान-प्रदान करेंगे। बांग्लादेश ने भारत को 7.39 वर्ग किलोमीटर लम्बा दक्षिणी वेरूबारी गलियारा सौंप दिया, जिसके बदले भारत ने (तत्काल) कुछ भी नहीं

दिया। भारत ने भूमि का हस्तांतरण 26 जून, 1992 को किया।

"तीन बीघा" के निकट 1510 वर्गमीटर भूमि मिलने से बांग्लादेश को दाहा ग्राम और अंगारपोता बस्तियों तक पहुंचने में सहायता मिली। लेकिन, भारत और बांग्लादेश द्वारा सीमा के सीमांकन संबंधी सभी विवादों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम वर्ष 2011 में उठाया गया जब उन्होंने थल सीमा करार (एलबीए) पर हस्ताक्षर किए। इस करार के अनुसमर्थन के लिए भारतीय संसद द्वारा 7 मई, 2015 को सौवां संशोधन पारित किया गया।

भारतीय संसद द्वारा जब थल सीमा करार (एलबीए) का अनुसमर्थन कर दिया गया, तब असम में असोम गण परिषद (एजीपी), जो इसके विरूद्ध है, ने विरोध का आह्वान किया, जिससे गुवाहाटी में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा समन्वय समिति और कुछ अन्य संगठनों ने इस करार के कार्यान्वयन का विरोध करने के लिए एक समूह का गठन किया, जिनमें खासी छात्र संघ, खासी जयंतिया और गारो जनसंघ, हाइनीविट्रेप राष्ट्रीय युवा मोर्चा और खासी-जयंतिया पहाड़ियों के अतर्गत आने वाले ग्राम परिषद शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मेघालय की जनजातीय भूमि का एक बड़ा टुकड़ा लगभग 559.7 एकड़ केवल 52.15 एकड़ प्राप्त करने के बदले बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा।[8] पश्चिम बंगाल में निखिल बंग नागरिक संघ (अखिल नागरिक समिति) नामक एक समूह है, जिसने बांग्लादेश से सभी प्रकार की बातचीत का विरोध किया। इन समूहों को शांत करना और भारत के पूर्वोत्तर में धर्म-सह-जातीय तनावों को संभालना तब भी एक चुनौती बनी रहेगी, जब भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का सीमांकन हो जाएगा।

सीमा से संबंधित मुद्दा प्रवासियों का मुद्दा है। भारत में बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या से संबंधित सही-सही आंकड़ों के अभाव में विभिन्न एजेंसियां अलग-अलग आंकड़ों का उपयोग करती हैं, जो विश्वसनीय भी नहीं होते। यदि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों पर भरोसा करें तो इसकी वर्ष 2013 की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या लगभग 32 लाख है। अतीत में, भारत के पूर्वोतर राज्यों में प्रवासियों की उपस्थिति के मुद्दे पर हिंसा भड़क गई थी।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के दौरान एक मुद्दा, जिस पर चर्चा होगी, वह है, तीस्ता नदी जल बंटवारा। यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी की सहमति पर निर्भर करता है, हालांकि केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार से परामर्श किए बिना संधियों को लागू करने की संवैधानिक शक्ति होती है। इसके कार्यान्वयन की ओर बढ़ाया

गया कोई भी कदम पश्चिम बंगाल में राजनैतिक प्रतिक्रिया का कारण बनेगा।

वर्तमान में भारत और बांग्लादेश संपर्कों में सुधार करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इस पर चर्चा होनी है। भारत का अपने पूर्वोतर राज्यों से संपर्क केवल चिकेन नेक अथवा सिलिगुड़ी गलियारे (भारत को इसके पूर्वोतर राज्यों से जोड़ने वाले पश्चिम बंगाल में संकरे थल मार्ग) के माध्यम से होता है। और अधिक सड़कें खोलने के लिए भारत कई वर्षों से बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में तेतूलिया से होकर पारगमन सुविधा की मांग करता रहा है। यदि यह गलियारा खुल गया तो इससे पूर्वोतर से भारत के मुख्य भू-भाग तक सड़क मार्ग से आने-जाने वाली दूरी 85 किलोमीटर (से अधिक) से भी कम हो जाएगी।

संपर्क के मामले पर दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा म्यांमार से बांग्लादेश होते हुए भारत आने वाली गैस पाइपलाइनों के भविष्य पर चर्चा किए जाने की संभावना है। इस पाइपलाइन का प्रस्ताव सबसे पहले वर्ष 1997 में किया गया था। यह 900 किलोमीटर लंबी है और इसके द्वारा दक्षिणी म्यांमार के स्वे गैस क्षेत्र से पूर्वी तथा पूर्वोतर भारत को 5 अरब घन मीटर गैस की आपूर्ति होगी।[9]

भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2012-2013 में 5.34 अरब अमरीकी डॉलर था, जिसमें भारत से बांग्लादेश को होने वाला निर्यात 4.776 अरब अमरीकी डॉलर तथा आयात 5 लाख 64 हजार अमरीकी डॉलर था और भारत द्वारा 25 मदों को छोड़कर सभी मदों के लिए बांग्लादेश को सीमाशुल्क मुक्त प्रवेश दिया गया था।[10] इसके वर्ष 2018 तक 10 अरब डॉलर तक बढ़ जाने की आशा है।[11] वर्तमान में भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में दो सीमा हाट पहले से ही लगते आ रहे हैं और कुछेक को शुरू करने की परिचर्चा चल रही है।[12] द्विपक्षीय व्यापार संबंध में सुधार के लिए दोनों देशों को भारत-बांग्लादेश की अखौरा-अगरतला सीमा पर प्रारंभ किए गए समेकित चेक पोस्ट (आईसीपी) पर व्यापार आसान बनाने के लिए कदम उठाने हैं। जब दोनों प्रधानमंत्री मिलेंगे तो वे दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपायों की घोषणा कर सकते हैं।

वर्तमान में, भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए भारतीय कम्पनियां 13 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों में कार्यरत हैं, जिनमें शामिल हैं: कृषि प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल्स, चीनी मिट्टी, रसायन, जवाहरात तथा आभूषण, हल्की इंजीनियरिंग, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, अस्पताल तथा चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, व्यावसायिक सेवा, पर्यटन, वस्त्र (घरेलू वस्त्र सहित) आदि।[13] स्वतंत्र रूप से भी सार्वजनिक तथा निजी दोनों

क्षेत्रों के अनेक भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करते आ रहे हैं, इन क्षेत्रों में विद्युत, पारेषण लाइन, दूरसंचार, वस्त्र, रसायन तथा फार्मास्यूटिकल्स, शीशा, प्लास्टिक तथा इंजीनियरिंग शामिल हैं।[14] भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत द्वारा बांग्लादेश के पतुआखली में पाइरा समुद्र पत्तन के विकास में निवेश करने की संभावनाएं तलाशने की भी संभावना है।

निष्कर्ष

बांग्लादेश के अपने दौरे के साथ ही, भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में भारत के महत्वपूर्ण पड़ोसियों: नेपाल, श्रीलंका और भूटान की यात्रा पूरी कर लेंगे। इन यात्राओं के परिणाम का अनुमान लगाना तो अभी बहुत जल्दी होगी, लेकिन यह संतोषजनक बात है कि ये (यात्राएं) हो रही हैं। बैठकों के दौरान दोनों नेताओं को एक राजनीतिक कहावत-सह-चेतावनी को ध्यान में रखना होगा: इतने कम समय में सभी मौजूदा और आगामी सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों को सुलझाना आसान नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए मोटे तौर पर एक रूप-रेखा तो खींची जा सकती है।

***

डॉ. अमित रंजन विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता है।

समाप्ति नोट:

---

[1] चक्रबर्ती, बिद्युत (2004) *बंगाल और असम का विभाजन, 1932-1947: स्वतंत्रता की रूपरेखा,* लंदन और न्यूयॉर्क: रूटलेज कर्जन, पृ. 156.

[2] चेस्टर, लुसी पी. (2009) *दक्षिण एशिया में सीमाएं और संघर्ष: रेडक्लिफ़ सीमा आयोग और पंजाब, मैनचेस्टर तथा न्यूयॉर्क का विभाजन* : मैनचेस्टर विश्वविद्यालय प्रेस, पृ. 77.

[3] चक्रबर्ती, बिद्युत (2004) अन्यत्र वर्णित, पृ. 168.

[4] चटर्जी, जोया (2007) *विभाजन की लूट: बंगाल और भारत, 1947-1967* , कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ 57.

[5] चक्रबर्ती, बिद्युत (2004) अन्यत्र वर्णित, पृ. 196.

[6] स्कैंडल, विलेम वैन (2009) *बांग्लादेश का इतिहास*, कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ 97.

[7] भसीन, अवतार सिंह (2003) *भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध: दस्तावेज-1971-2002 खंड 4* , नई दिल्ली: गीतिका प्रेस, पृ. 1891.

[8] नटराजन, सुकन्या, "भूमि की अदला-बदली: क्या कोई सौदा किया जा सकता है?" *हिंदू* , 26 मार्च, 2015.

[9] दाम्मण थांडी, "म्यांमार मोह (पाइपड्रीम): म्यांमार-भारत-बांग्लादेश पाइपलाइन" http://www.irgamag.com/analysis/terms-of-engagement/item/6622-the-myanmar-pipedream-myanmar-bangladesh-india-pipeline 26 मई , 2015 को एक्सेस किया गया।

[10] भारत बांग्लादेश संबंध, www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bangladesh_July_2014_.pdf से लिया गया और 26 मई, 2015 को एक्सेस किया गया।

[11] "भारत-बांग्लादेश व्यापार वर्ष 2018 तक लगभग दोगुना हो सकता है: सीआईआई http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-06-24/news/50825908_1_h-mahmood-ali-bangladesh-exports- industry-body-cii-today से लिया गया और 26 मई, 2015 को एक्सेस किया गया।

[12] भारत बांग्लादेश संबंध, www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Bangladesh_July_2014_.pdf से लिया गया और 26 मई, 2015 को एक्सेस किया गया।

[13] "बांग्लादेश भारतीय कारोबारों के अवसरों के लिए एक स्वर्णद्वार है: सीआईआई" http://www.business- standard.com/article/economy-policy/bangladesh-is-a-golden-gate-of-opportunities-for-indian-businesses-cii- 113062800428_1.html से लिया गया और 27 मई, 2015 को एक्सेस किया गया।

[14] पूर्वोक्त।